UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

Email ID- cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 2210/ 18 (प0) दिनांक 15/11/ 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विशयः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूंठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online no. FP/UK /ROAD/15092 /2015)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत हैः–

क्र. सं.	अधिरोपित षर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के वाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	विषयांकित प्रस्ताव के अन्तर्गत 1.00 है0 से कम वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है, जिस हेतु गैर वन भूमि वन विभाग को नहीं सौपी जायेगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1260 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि /CA Rate for 1.26 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारित हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेषन से बचा जाय।	(क) खण्ड द्वारा 1.26 है0 क्षेत्रफल में वनीकरण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) रू0 565477.00 (पाच लाख पेसठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) वन विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक रानीखेत से नैफ्ट/आर0टी0जी0एस0 चालान के माध्यम से दिनांक 15.12.2023 को जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–1) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि एकल प्लांटेशन से बचा जा सके।
3	(ख) राज्य सरकार पौधा रोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय प्रस्तुत करेगी।	(ख)– पौधारोपण स्थल ग्राम चिलियानौला कम्पार्ट–06 का मानचित्र व Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र संलग्न कर प्रेषित कर दिए गए है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रयोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण और स्तभंन की लागत की धनराषि रू0 565477.00 (पाच लाख पेसठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) वन विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक रानीखेत से नैफ्ट/आर0टी0जी0एस0 चालान के माध्यम से दिनांक 15.12.2023 को जमा की जा चुकी है।
5	शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्यः–	सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01. 08.2003,28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा

5	शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्यः– 5– (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01,08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(पी0टी0. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 6,33,282.00 (छः लाख तैंतीस हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराषि 0.63 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी।	सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01. 08.2003,28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 6,33,282.00 (छः लाख तैंतीस हजार दो सौ बयासी मात्र) की धनराषि 0.63 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक–2)
	5–(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। (संलग्नक–3)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक–4)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगें।	समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित /जमा किया गया है। कैम्पाकोश में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक–5)
8	गाईललाईनस में दिये गये दिषानिर्देषों पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करनें के लिए पारित किये गये आदेष की प्रति इस कार्यालय को प्रेशित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्श की समाप्ति तक आदेष में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	मान्य है।
9	एफ0आर0ए0–2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0–2006 का पूर्ण अनुपालन कर लिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न।
10	आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढाएगा।	शर्त संख्या–10 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढा दी जायेगी।
11	संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाये जायेगें।	शर्त संख्या–11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, तो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विषेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	मान्य है।
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देषानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर ही भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन कराया जायेगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	मान्य है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजनों के प्रस्ताव में विनिर्दिश्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी षर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषा निर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी, मान्य है।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पैधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधारी कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलुवा निष्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी, मान्य है।	मान्य है।

23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर की जायेगी।	शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यह रिर्पोट ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

Brijendra

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
a/c रानीखेत

पत्रांक 2210/ 13 एफ तद्दिनांकित। 15/11/25

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोड़ल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय से सम्पर्क कर अनुपालन आख्या नोड़ल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करवाना सुनिष्चित करें।

Brijendra

अधिषासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
a/c रानीखेत

संलग्नक–1

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूंठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन **(Online no. FP/UK /ROAD/15092 /2015)**

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
रानीखेत।

Brijendra
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत।

संलग्नक–2

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूंठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन **(Online no. FP/UK /ROAD/15092 /2015)**

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त धनराशि जमा करेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत।

संलग्नक–3

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाड़गूंठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन **(Online no. FP/UK /ROAD/15092 /2015)**

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यक्ता नहीं है।

Bijendra

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
&
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी/06/68/2020/एफ0 सी0/2219 दिनांकः 17/02/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाडगूठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/15092/2015)

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 31-FP/UK/Road/15092/2015(देहरादून) दिनांक 04.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत बसेरा बैण्ड से कूना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलाडगूठ तिपोला तक विस्तार हेतु 0.63 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः
   क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1260 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.26 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
   ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
   (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.63 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
   (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 67 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

AnyScanner

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत बसेरा बैण्ड से कुना धन्यारी मोटर मार्ग का धौलागढ -तिपोला तक निर्माण के क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का प्राक्कलन ।

वृक्षारोपण स्थल का नाम–चिलियानौला कम्पार्ट 06					
रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या–693			क्षेत्रफल – 0.63 है0		
क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	साईन स्पेसिफिक प्लान सर्वे डिमार्केशन ,के0एम0एल0 फाईल करना,रूट स्टॉक की गणना कार्य ,मृदा परीक्षण	है0	0.63	1453	915.39
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	है0	0.63	1259	793.17
3	चैनलिंग वायर से घेरबाड कार्य (122 र0मी0)	र0मी0	122	1865.23	227558.06
4	गड्ढ़ा खुदान का कार्य 0.30x0.30x0.45	सं0	693	15.8	10949.4
5	भूमि संरक्षण कार्य 1– कन्टूर फर्रे 450र0मी0 (450x27 = 15750) (औसत साईज– 1x0.30x0.30) 2– चाल खाल 2 सं0 (2x5000= 13000) (औसत साईज– 4x2.5x1.00) कुल योग– 28750	है0	0.63	28750	18112.5
6	निरीक्षण बटिया बनाना	है0	0.63	1046	658.98
7	पौधो की कीमत प्रथम वर्ष 20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित	सं0	139	15.9	2210.1
					261197.60
8	पौधालय विकास भवन अनुरक्षण कार्य– उपयोग का 2%	है0	0.63	2.00%	5223.95
9	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	1305.98
10	श्रम कल्याण कार्य– उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	1305.98
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, ईधन व अन्य परिव्यय– उपयोग का 2प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	5223.95
				योग	**274257.46**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढ़ा भरान का कार्य।	सं0	693.00	2.48	1718.64
2	कंटूर फर्रो में बीज बुबाई।	र0मी0	283.00	1.50	424.50
3	पौधो की कीमत द्वितीय वर्ष 20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित	सं0	832	2.70	2246.40
4	पौध का वाहन से ढुलान कार्य 50 कि0मी0 दूरी से लोडिग एवं अनलोडिग सहित	सं0	832	12.17	10125.44
5	पौधो का सिर बोझ ढुलान 3 कि0मी0	सं0	832	8.16	6789.12
6	पौधरोपण व थावलाबन्दी	सं0	832	4.44	3694.08
7	निराई गुडाई व मल्चिंग प्रथम बार	सं0	832	1.64	1364.48
8	निराई गुडाई व मल्चिंग द्वितीय बार	सं0	832	1.64	1364.48
9	खाद व दवा का व्यय	सं0	832	0.45	374.40
10	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रख–रखाव पर व्यय 8 महीन अगस्त से मार्च तक	है0	0.63	20568.00	12957.84
11	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318.00	200.34
12	वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पोधो में सिगलिंग प्रूनिग व थावला बंदी कार्य 100 प्रति है0	है0	0.63	26.67	1680.21
13	वृक्षारोपण के क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है0 450 कटिंग का रोपण कार्य।	सं0	283.00	1.50	424.50

14	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत			उपयोग	43364.43
15	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	433.64
16	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	216.82
17	साईन बोर्ड लगाना (3×4) फीट कम्पलीट कार्य।	है0	0.63	2.00%	867.28
		है0	0.63	1000	630.00
				द्वितीय वर्ष का कुल योग	**45512.17**

	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण काय्र 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852.00	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	सं0	139	38.93	5411.27
3	निराई–गुडाई प्रथम बार	सं0	139	1.64	227.96
4	निराई–गुडाई द्वितीय बार	सं0	139	1.64	227.96
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**25504.29**
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	255.04
7	श्रम कल्याण कार्य– उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	127.52
8	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	510.08
				योग	**26396.93**
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	छठा चरण				

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	सातवा चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	आठवा चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	नवॉ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	दसवॉ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76

2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

एकादश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर x 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

द्वादश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर x 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

त्रियोदश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर x 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

चतुर्दश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर x 12855.00 x 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**

3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपयोग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

पच्चदश चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

षोडश चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

सप्तदश चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

अष्टादश चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18

5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	नवदश चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	विंशतिः चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	एकाविंशतिः चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**
	द्वाविशंति : चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (5 है0 के आधार पर X 12855.00 X 12माह/प्रति 5 है0 = 30852	है0	0.63	30852.00	19436.76
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना	है0	0.63	318	200.34
				उपयोग	**19637.10**
3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीयकरण–उपयोग का 1 प्रतिशत	है0	0.63	1.00%	196.37
4	श्रम कल्याण कार्य– उपेयाग का 0.50 प्रतिशत	है0	0.63	0.50%	98.18
5	अन्य आकस्मिक व्यय– उपयोग का 2 प्रतिशत	है0	0.63	2.00%	392.74
				योग	**20324.39**

	प्राक्कलन सारांश	
1	प्रथम वर्ष का व्यय योग	274257.46
2	द्वितीय वर्ष का व्यय योग	45512.17

3	तृतीय वर्ष का व्यय योग	
4	चतुर्थ वर्ष का व्यय योग	26396.93
5	पंचम वर्ष का व्यय योग	20324.39
6	षष्टम वर्ष का व्यय योग	20324.39
7	सप्तम वर्ष का व्यय योग	20324.39
8	अष्टम वर्ष का व्यय योग	20324.39
9	नवम वर्ष का व्यय योग	20324.39
10	दशम वर्ष का व्यय योग	20324.39
11	एकादश वर्ष का व्यय योग	20324.39
12	द्वादश वर्ष का व्यय योग	20324.39
13	त्रियोदश वर्ष का व्यय योग	20324.39
14	चतुंर्दश वर्ष का व्यय योग	20324.39
15	पच्चदश वर्ष का व्यय योग	20324.39
16	षोडश वर्ष का व्यय योग	20324.39
17	सप्तदश वर्ष का व्यय योग	20324.39
18	अष्टादश वर्ष का व्यय योग	20324.39
19	नवदश वर्ष का व्यय योग	20324.39
20	विंशतिः वर्ष का व्यय योग	20324.39
21	एकाविशतिः वर्ष का व्यय योग	20324.39
22	द्वाविशतिः वर्ष का व्यय योग	20324.39
	योग	**732329.97**

वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-09-2023

Agency Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115092402
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/68/2020/FC
Location	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D RanikhetAlmora
Amount(in Rs)	1198759/-

Amount in Words: [illegible]

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code	UBIN0996335
Pay to Account No.	150996115092402
Bank Name & Address.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jolitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making the required payment through chall[illegible] even after 7 working days, then kindly mail a copy of y[illegible] id to Email: fcsbir@unionbankofindia.bank , epurse@u[illegible] ubin0903710@unionbankofindia.bank

15 DEC 2023

https://[illegible]

SBIN/323349632021

Google Map: Extension of Basera Bend to Kuna Dhanyari Motor Road to Dhaulagartipola Motor Road Area 0.63 Hectare

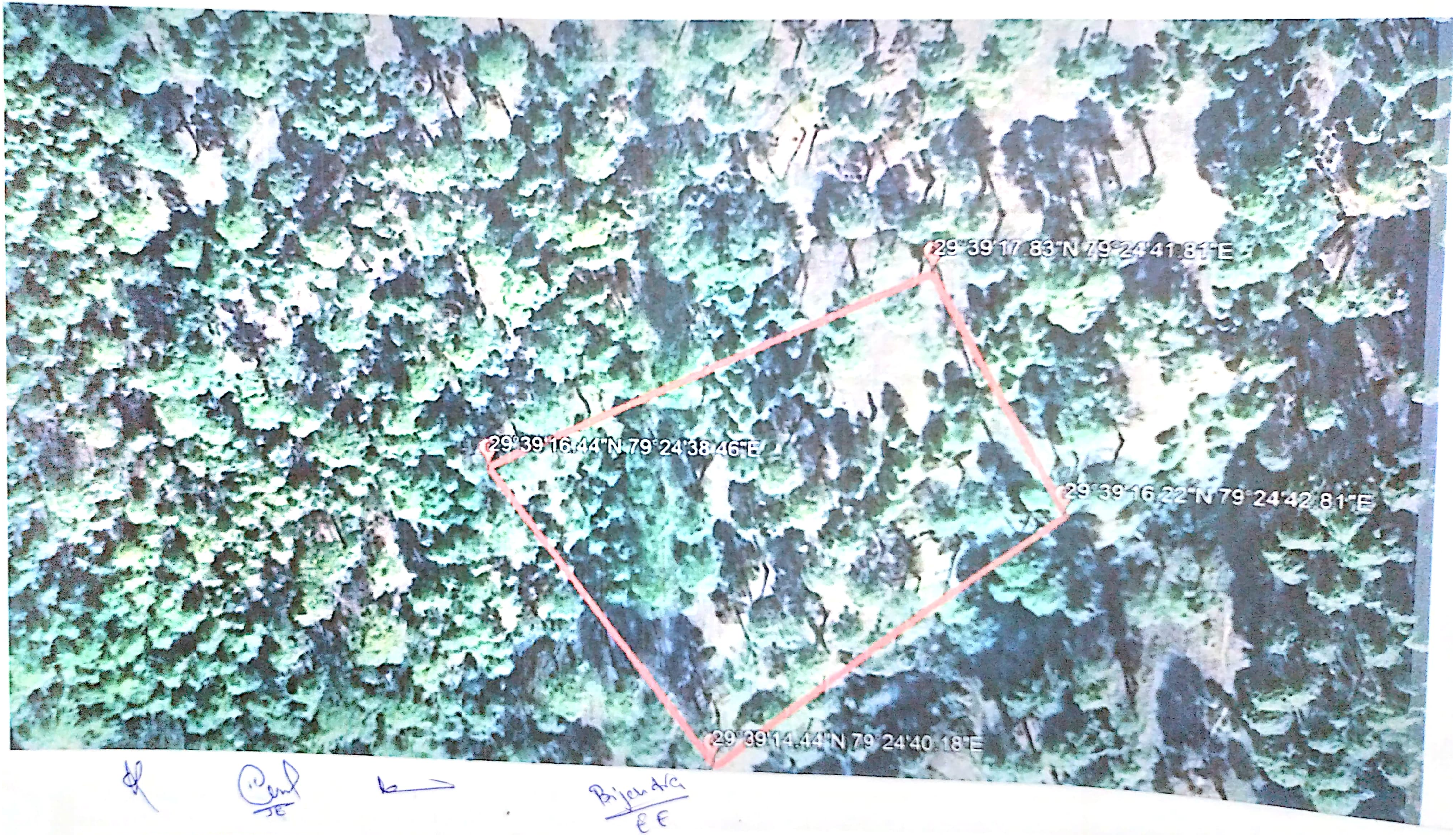

...gital Map: Extension of Basera Bend to Kuna Dhanyari Motor Road to Dhaulagartipola Motor Road Area 0.63 Hectare

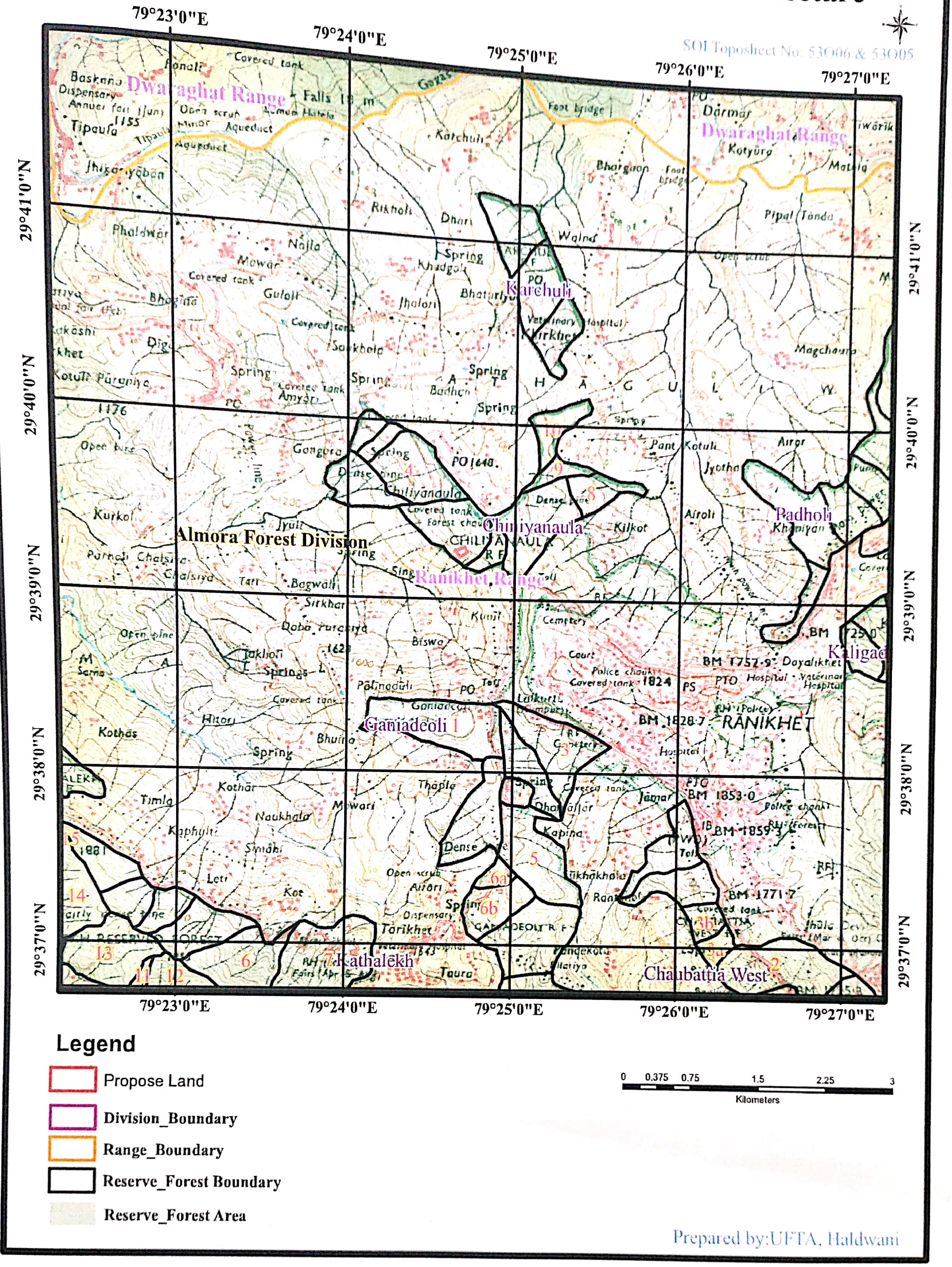

JE

EE

.eference Map: Extension of Basera Bend to Kuna Dhanyari .tor Road to Dhaulagartipola Motor Road Area 0.63 Hectare

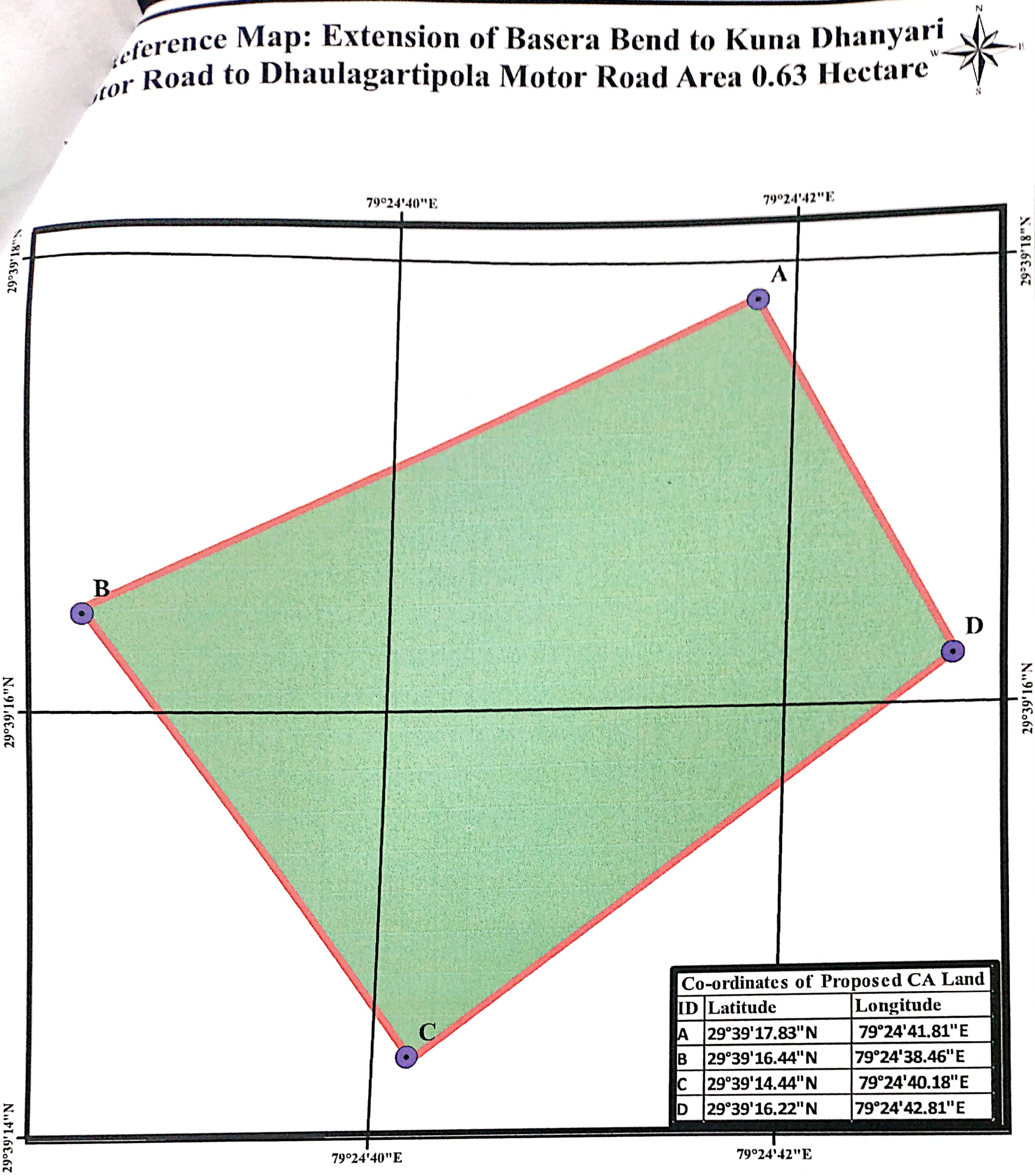

Co-ordinates of Proposed CA Land		
ID	Latitude	Longitude
A	29°39'17.83"N	79°24'41.81"E
B	29°39'16.44"N	79°24'38.46"E
C	29°39'14.44"N	79°24'40.18"E
D	29°39'16.22"N	79°24'42.81"E

0 0.005 0.01 0.02 0.03 0.04

Kilometers

Scale - 1:2100

Legend

- CA Propose land GPS Point
- CA Propose Land